

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या: 03/2019

निहाल चंद पुत्र श्री महीराम जाति बिश्नोई साकिन चक 2 पीपीएम तहसील सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता अपीलांत श्री शिशपाल शर्मा
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक:24.07.2019

1. यह अपील बहुकम व आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ दिनांक 21.01.2019 प्र.स. 04/2019 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलांत के नाम से चक 2 पी.पी.एम के प.न. 96/394 के किला नं. 21 में खातेदार रकबा है। इन किलों में से राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है, परन्तु मौका पर यह रास्ता कभी नहीं चला है, यह रकबा रोही मोहम्मदाबाद के समय से ही अपीलांत का खातेदारी रकबा है। यहा पर कतई रास्ते की आवश्यकता नहीं है फिर भी राजस्व कर्मियों ने इन किलों में से गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि इस रास्ते को निरस्त करने के लिये उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सूरतगढ़ में कार्यवाही जैरकार है तथा स्थगन भी जारी है फिर भी मातहत न्यायालय ने कानून विपरीत जाकर यह निर्णय दिया। वर्तमान प्रकरण में विवाद बिन्दु यह है कि अपीलांत इस रकबा का हकदार है या नहीं, यह रास्ता निरस्त होगा या नहीं यह सारे तथ्य उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष जैरकार कार्यवाही में तय होगा परन्तु फिर भी मातहत अदालत ने इस कार्यवाही में निर्णय होने से पहले जैर अपील आदेश जारी कर दिये है जबकि मातहत न्यायालय ने यह रास्ता अर्सादराज से बन्द है कि रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को भेजी जा चुकी ह। इसलिए अपील अस्वीकार योग्य है।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 04/19 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा पेश हुए एवं रेस्पोंडेंट की ओर राज पैरोकार उपस्थित आए।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांत ने निवेदन किया कि तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा अपीलांत को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये निर्णय दिनांक 21.01.2019 जारी कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसके साथ ही जै अपील रकबा अपीलांत के खातेदारी रकबा से पैमूद हुआ है चकबन्दी के समय या खसरो के समय यह रास्ता कभी नहीं चला है। इन किलों में से राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है, परन्तु मौका पर यह रास्ता कभी नहीं चला है, यह रकबा रोही मोहम्मदाबाद के समय से ही अपीलांत का खातेदारी रकबा है। यहा पर कतई रास्ते की आवश्यकता नहीं है फिर भी राजस्व कर्मियों ने इन किलों में से गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि इस रास्ते को निरस्त करने के लिये उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सूरतगढ़ में कार्यवाही जैरकार है तथा स्थगन भी जारी है फिर भी मातहत न्यायालय ने कानून विपरीत जाकर यह निर्णय दिया। अपीलांत उक्त रकबा को अपने नाम दर्ज करवाने का पूरा हकदार है, मातहत न्यायालय ने बिना अपीलांत को सुने धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही कर दी जो विधि विपरीत है इसलिए जैर अपील आदेश निरस्ती योग्य है।
4. जवाब में राज पैरोकार ने बताया कि प्रार्थी अतिक्रमी है एवं उसके द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने कारण तावान कायम किया गया है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अटलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त रास्ता को निरस्त करने के लिए वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ में जैरकार है जिसमें स्थगन आदेश जारी है।

चूंकि उक्त रास्ता अपीलांत के खातेदारी रकबा में है व उक्त रास्ता निरस्त करने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ चल रहे प्रकरण में स्थगन जारी व उक्त आदेश में रास्ता बंद भी बताया है अतः उक्त तथ्यों के आधार पर हम प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पुनः पक्षकारों को समुचित अवसर देकर, समुचित तथ्यों की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
अतिरिक्त (जिला कलक्टर)  
अतिरिक्त (जिला कलक्टर)  
सूरतगढ़